

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ २३२ /2024 दिनांक 11.09.2024

श्रीमती श्वेता शर्मा-1 (RJ00486), अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-01, कोटा को दिनांक 18.09.2024 से 01.10.2024 तक 14 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 एवं 02.10.2024 से 03.10.2024 के राजपत्रित अवकाशों एवं दिनांक 17.09.2024 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-01, कोटा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

 10.9.24

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2005/ 7156

दिनांक 11.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 12934 दिनांक 06.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता शर्मा-1 (RJ00486), अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-01, कोटा।
4. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-01, कोटा।
5. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार